हरियाणा सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
राजनैतिक शाखा
आदेश

दिनांक 30 अक्तूबर, 2018.

संख्या 41/16/2017–5पोल– चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि स्नातकोतर आर्युविज्ञान संस्थान, रोहतक और चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग, हरियाणा के अधीनस्थ संस्थान के अन्य संघटक चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत डाकटर, नर्सो अथवा अमलें के किसी अन्य प्रवर्ग द्वारा अनिश्चित कालीन की जा रही हड़ताल से सामुदायिक जीवन में स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाएं गम्भीर रूप से प्रभावित होने की सम्भावना है । अतः उक्त संस्थान तथा संघटक चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिल गम्भीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों तथा अन्य मरीजों की देख–रेख को सुनिश्चित करना अति आवश्यक हो गया है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की आगे संतुष्टि हो गई है कि स्नातकोतर आर्युविज्ञान संस्थान, रोहतक तथा चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग, हरियाणा के अधीनस्थ विश्वविद्यालयों में दाखिल गम्भीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों तथा अन्य मरीजों की देख–रेख सुनिश्चित करने हेतु उक्त संस्थान तथा संघटक चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत डाकटर, नर्सों और अमलें के किसी अन्य प्रवर्ग द्वारा की जा रही अनिश्चित कालीन हड़ताल का प्रतिषेघ करना लोक हित में है और हड़ताल का प्रतिषेघ करना आवश्यक है;

इसलिए, अब हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का 40), की धारा 4 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह मास की अवधि तक उपरोक्त संस्थान और संघटक चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत डाकटर, नर्सों तथा अमलें के किसी अन्य प्रवर्ग द्वारा की जा रही अनिश्चित कालीन हड़ताल का प्रतिषेध करते है ।

दिनांक चण्डीगढ
30 अक्तूबर, 2018

डी.एस.ढेसी
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

कमांक 41/16/2017–5पोल — दिनांक चण्डीगढ 30 अक्तूबर, 2018.

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हरियाणा, चण्डीगढ को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है । उनसे अनुरोध है कि इस आदेश को हरियाणा सरकार के आज के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करें तथा इसकी 50 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग (राजनैतिक शाखा) को भिजवाये ।

अवर सचिव राजनैतिक
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

कमांक 41/16/2017–5पोल — दिनांक चण्डीगढ अक्तूबर, 2018.

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग ।

अवर सचिव राजनैतिक
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

कमांक 41/21/2010–5पोल — दिनांक चण्डीगढ 30 अक्तूबर, 2018.

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

1. सभी मण्डल आयुक्त हरियाणा ।
2. सभी उपायुक्त हरियाणा ।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सर्म्पक विभाग हरियाणा।
4. महानिदेशक, पुलिस हरियाण पंचकूला ।

अवर सचिव राजनैतिक
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
POLITICAL BRANCH
ORDER

The 30th October, 2018

No. 41/16/2017-5Pol.- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that to ensure patient care of the critical ill and other patients admitted at Post Graduate Institute of Medical Sciences, Rohtak and other constituent Colleges of the University working under the Medical Education and Research Department, Haryana, any strike by the Doctors, Nurses or any other category of staff shall gravely affect the health and essential services for the life of the community.

And whereas, the Governor of Haryana is further satisfied that the prohibition of strike by the Doctors, Nurses and other category of staff and to ensure patient care of the critical ill and other patients admitted at Post Graduate Institute of Medical Sciences, Rohtak and other constituent Colleges of the University working under the Medical Education and Research Department is in public interest and it is necessary to prohibit a strike;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4 A of the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (40 of 1974), the Governor of Haryana hereby prohibits any strike by Doctors, Nurses and other category of staff to ensure patient care of the critical ill and other patients admitted at Post Graduate Institute of Medical Sciences, Rohtak and other constituent Colleges of the University working under the Medical Education and Research Department, Haryana for a period of six months from the date of publication of this order in the Official Gazette.

Dated Chandigarh
the 30th October, 2018.

D.S. Dhesi
Chief Secretary to Government, Haryana.

No. 41/16/2017-5Pol — Dated Chandigarh the 30th October, 2018.

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery, Haryana, Chandigarh for immediate necessary action. He is requested to published this order in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary) of today and supply 50 spare copies of the same to the General Administration Department (in Political Branch)

Under Secretary Political,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

Endst No. 41/16/2017-5Pol — Dated Chandigarh the 30th October, 2018.

A Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Additional Chief Secretary to Government, Haryana. Home Department.
2. Additional Chief Secretary to Government, Haryana. Medical Education and Research Department.

Under Secretary Political,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

Endst No. 41/16/2017-5Pol — Dated Chandigarh the 30th October, 2018.

A Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Divisional Commissioners in the State of Haryana.
2. All the Deputy Commissioner in the State of Haryana.
3. Director General Information & Public Relations Department, Haryana.
4. Director General of Police Haryana, Panchkula.

Under Secretary Political,
for Chief Secretary to Government, Haryana.